न्यायालयः—अंकिता शाही, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.)

दाण्डिक प्र0 क्र0 23/2020
संस्थापन दि0— 16/01/20

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देपालपुर
जिला इन्दौर (म0प्र0) ....**अभियोजन**

बनाम

शेखर पिता अमरसिंह, उम्र— 37 वर्ष,
निवासी— अरिहंत कॉलोनी
तह0 देपालपुर जिला इंदौर (म0प्र0)

............**अभियुक्त**

उपार्पण आदेश

(आज दिनांक—03/02/2020 को विरचित)

1— पुलिस थाना देपालपुर के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2— अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.08.2019 को थाना देपालपुर पर पदस्थ उप निरीक्षक को थाना हाजा के मर्ग क्र0 21/19 धारा 174 दप्रसं की मर्ग डायरी थाना प्रभारी के आदेश से अग्रिम जांच हेतु प्राप्त हुयी। डायरी में संलग्न सुसाईड नोट के अवलोकन से पाया गया कि मृतक मोहन को आरोपी शेखर सहारा नाम के व्यक्ति द्वारा रूपए लेन—देन की बात को लेकर परेशान करने का कथन किया है तथा पीएम रिपोर्ट के अवलोकन से डाक्टर द्वारा मृतकी की मृत्यु फांसी के कारण श्वासावरोध होना लेख है एवं मृतक के जीजा दिनेश पिता रामचन्द एवं मृतक के भाई विष्णु परिहार पिता देवसिंह परिहार एवं संदीप पिता रामसिंह के कथनों से पाया गया कि मृतक मोहन को आरोपी शेखर सहारा पैसे के लेन देन को लेकर परेशान करता था जिससे परेशान होकर मृतक मोहन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मर्ग रिपोर्ट के आधार पर

अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचन रिपोर्ट क्र0 274/19 दर्ज किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मृतक मोहन का शव परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए, मृतक के भाई विष्णु परिहार के पेश करने पर मृतक की डायरी, रजिस्टर, हिसाब–किताब लेख, सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की 25 रसीदें, मोबाईल, सीडी सहित अन्य दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया, मृतक की डायरी एवं सुसाइड नोट को अनुवाद कर अनुवाद पंचनामा तैयार किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 306 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद हैं जो कि अनन्य रूप से मान्नीय सत्र न्यायालय इंदौर म0प्र0 द्वारा विचारणीय है। अतएव प्रकरण मान्नीय सत्र न्यायालय इंदौर म0प्र0 को उपार्पित किया जाता है।

4– अभियुक्त को द.प्र.सं.की धारा–207 के तहत अभियोग पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियॉ प्रदान की जा चुकी है।

5– मामले के अभिलेख दस्तावेज एवं वस्तुए यदि कोई हो, माननीय सत्र न्यायालय इंदौर को भेजी जावे।

6– प्रकरण को उपार्पित किये जाने की सूचना लोक अभियोजक एवं थाना प्रभारी देपालपुर, तहसील देपालपुर जिला इंदौर को भेजी जावे।

7– अभियुक्त शेखर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आगामी पेशी दिनांक 13.02.2020 की सूचना दी जाकर उन्हें मान्नीय सत्र न्यायालय इंदौर के समक्ष 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

8– प्रकरण को व्यवस्थित कर निष्पादन लिपिक पेशी दिनांक 13.02.2020 के पूर्व मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करें।

स्थानः– देपालपुर
दिनांकः– 03/02/2020

(अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इंदौर (म०प्र०)